न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स / एल.आर. /1067 / 2006 / जिला टोंक

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक।

.....प्रार्थी

बनाम

1– लादू पुत्र कालू जाति गूर्जर नि0 डॉगरथल तहसील निवाई।
2– मु0 दाखां बेवा कालू जाति नि0 डॉगरथल तहसील निवाई।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ।
अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक : 21.05.2026

निर्णय

1– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर टोंक ने अपने आदेश दिनांक 18–10–2005 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है ।

2– रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार निवाई ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के यहां अंतर्गत धारा 82 राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी कालू पुत्र रामनाथ गूर्जर निवासी डॉगरथल को ग्राम डॉगरथल के आराजी खसरा नंबर 1239 में एक बिस्वा भूमि बाड़ा हेतु आवंटन/नियमन किया गया था परंतु राजस्व रिकॉर्ड में बाड़ा आवंटन/नियमन का अमल नहीं किया जाकर केवल मांग चोसाला में अंकित की गयी थी। अतः विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नामांतकरण संख्या 997 व 1333 को निरस्त करने हेतु रेफेरेंस तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–10–2005 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार की रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 22–6–07 से अभिशंषा करते हुये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी तथा उसके पक्ष में किये

गये राजस्व इंद्राज को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया गया है।

3— अभिभाषक अप्रार्थीगण को बार बार आवाज लगाने के बावजूद अनुपस्थित रहे, अतः उपराजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4— योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के अनुसार समस्त घर का कूड़ा कचरा इत्यादि डालने, अश्वशाला का मल, पशुओं का मल—मूत्र, अन्य खाद डालने के स्थानके रूप में और चारे के संग्रह के लिए अनुदत्त भूमि आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही अविधिक है, अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 997 व 1333 अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त करने के आदेश प्रदान किए जावें।

5. मैने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया।

6. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खाता संख्या 1151 जमाबंदी संवत् 2058—2061 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम डॉगलथल तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा संख्या 1239/3 में अप्रार्थी संख्या 1 लादू पुत्र कालू गैर खातेदार दर्ज था तथा साथ ही पत्रावली संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित है कि ''बाड़ा आवंटन नियम 1975 के अनुसार इस प्रयोजनार्थ इस भूमि पर किसी प्रकार का टाईटल आवंटी को प्राप्त नहीं होता है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल नहीं किया जाकर खसरा चौसाला में इस आशय का नोट ही अंकित किया जाना चाहिए।'' जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कालू पुत्र रामनाथ गूर्जर निवासी डॉगरथल को ग्राम डॉगरथल के आराजी खसरा नंबर 1239 में एक बिस्वा भूमि बाड़ा हेतु आवंटन/नियमन किया गया था परंतु राजस्व रिकॉर्ड में बाड़ा आवंटन/नियमन का अमल नहीं किया जाकर केवल मांग चोसाला में अंकित की गयी थी। अतः विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नामांतकरण संख्या 997 व 1333 को निरस्त करने हेतु रेफेरेंस तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा है, जो आवंटन/नियमन योग्य नहीं है तथा भू—राजस्व अधिनियम 1970 की धारा 98 घर का कूड़ा कचरा इत्यादि डालने और चारे के संग्रह के लिए अनुदत्त नियम निम्न प्रकार हैः—

98. घर का कूड़ा कचरा इत्यादि डालने और चारे के संग्रह के लिए अनुदत्त भूमि— (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए नियमों के अधीन रहते हुए, उपखण्ड अधिकारी, घर का कूड़ा, कचरा, अश्वशाला का मल, पशुओं का मल—मूत्र और अन्य कूड़ाकरकट और खाद डालने के स्थान के रूप में और

पशुओं के चारे के संग्रह के लिये काम में आने हेतु गांवों, कस्बों और नगरों में बिना किसी प्रीमियम या किराये के ऐसे परिमाण में भूमि अनुदत्त कर सकेगा जो विहित किया जाए–

परन्तु–

(1) ऐसी भूमि के लिये अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा और वह उपलब्ध होने पर ही दी जायेगी,

(2) कलेक्टर को ऐसी किसी भी भूमि को, कोई मुआवजा दिये बिना, पुर्नग्रहण करने का अधिकार होगा,

(3) उस व्यक्ति को, जिसे ऐसी भूमि अनुदत्त की जाये, उस भूमि को विनियम, बन्धक, विक्रय, दान या वसीयत द्वारा हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं होगा,

(4) उस व्यक्ति को, जिसे ऐसी भूमि अनुदत्त की जाये, इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित आदेशों का पालन करना होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अनुदत्त भूमि किसी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के नीचे के पद का न हो, के आदेश से पुनग्रहीत की जा सकेगी यदि वह व्यक्ति, जिसे वह अनुदत्त की गई है, कभी इस धारा या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करे।

उपरोक्तानुसार ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। हमारा सुविचारित मत है कि राजकीय भूमि के खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किये जा सकते हैं जिससे विवादित भूमि बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 997 व 1333 अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 997 व 1333 अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य